

19-5  
23

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर माण्डल

पत्रावली दिनांक 16-5-23 को

पत्रावली महंगाई राहत कम्प एवं प्रशासन गाँवों के  
संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत औरावरपुरा में  
पेश हुई, विपक्षीयों के सम्मन बाद वामित होकर प्राप्त  
हुए जिसे शाह पत्र किये गये। प्राथमिक प्रार्थना  
पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पत्र से लिखा  
जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली  
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023



पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 83/23 प्रा०पत्र

1- श्रीमती प्रेम कुमारी व/० श्री मागीरथ-चमार गिवासी बावडी तहसील माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

- 1- श्री लोगाड/० श्री कजोड बलाई गिवासी-मेलियास तहसील-माण्डल
- 2- मन्दु व/० श्री कजोड बलाई " " " " " "
- 3- प्रेम व/० श्री बाबु लैरता " " " " " "
- 4- राजस्थान राज्य जरीए तहसीलदार माण्डल तहसील माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 19.05.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मेलियास पटवार हल्का बावडी तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 244 कुल किता 01 रकबा 2-3649 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02-05-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रस्तुत पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मेलियास पटवार बावडी तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 244 कुल किता 01 रकबा 2-3649 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मैजा को 1000/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को दनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023